खण्ड-13 संख्या-6

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन ।

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार तिथि 21 अगस्त, 1984 ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	गत सत्र के अनागत प्रश्नोत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना ।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:		
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या :	8 एवं 9	1-6
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	145, 161, 163, 166, 167, 672, 673, 674, 675, 676, 679, 680 एवं 685 ।	6-27
परिशिष्ट—1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—तारांकित प्रश्नोत्तर की संख्या :	701, 703, 717, 718, 725, 729, 739, 749, 758, 760, 784, 787, 797, 803, 806, 813, 817, 818, 822, 825, 845, 847.	28—46
परिशिष्ट—2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :		47-155
दैनिक निबंध :		157—158

टिप्पणी —किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

क्रमांक	सदस्य का नाम	सांकेतिक चिन्ह ।	पृष्ठ संख्या ।
35.	श्री रामाश्रय राय	क-63	70
36.	श्री साईमन मरांडी	रा-68	71
37.	श्री सूरज मंडल	क-15, क-23	72
38.	श्री सुखदेव महतो	द-39	73
39.	श्री सुरेन्द्र यादव	द-86	73
40.	श्री सुर्यनारायण सिंह यादव	साम-73	74
41.	श्री शिवनन्दन पासवान	क-5, क-31	75-76
42.	श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	भ-3, भ-4, भ-5, भ-6, क-123	77—80
43.	श्री एच० ए० ब्राउन	द-25	80
44.	श्री श्रीचन्द्र सिंह	क-125	81
45.	श्री हारु रजवार	साम-57	82
46	श्री मो० इलियास हुसैन ——————— श्री दिनेश्वर प्रसाद श्री रामाश्रय सिंह	थ-19	83
47.	—————— श्री शमीम हाशमी	अ-5	83-84

मुआवजे का भुगतान ।

ऐ-13. (क) श्री अकलु राम महतो—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो इस्पात कारखाने के अन्तर्गत ग्राम कुन्डौरी अड्डा का दो दुर्गा मन्दिर, ग्राम कुशनबन्धा पाथर कट्टा का हार मन्दिर, ग्राम राउत डाह का हरि मन्दिर तथा ग्राम मरापुरी, डुमरी, भर्रा पिररा टाड़, अंगरडीह कुण्डौरी के मस्जिदों को जमीन एवं सम्पत्ति अर्जित की गयी पर मुआवजे का भुगतान आज तक नहीं किया गया है;

(2) यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उल्लेखित गांवों के मन्दिरों तथा मस्जिदों के मुआवजे का भुगतान करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग—(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम भरापुरी का जमीन बोकारो स्टील लि० के लिए अर्जित ही नहीं की गयी है तथा ग्राम कुण्डोरा, तरिला, कुशलबन्धा, पत्थरकट्टा ग्रामों के मन्दिर तथा मस्जिद का अर्जन हुआ है।

जिन ग्रामों के मन्दिर एवं मस्जिद सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा स्थापित थे उनका मुआवजा सरकारी आदेशानुसार उप-निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास धनबाद के नाम पंचाट घोषित कर राजस्व के उपर्युक्त जमा शीर्ष में जमा कर दिया है क्योंकि उन ग्रामों से पुनर्वासित विस्थापितों के साथ मन्दिर तथा मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है।

किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो मन्दिर एवं मस्जिद बनवाये गए थे उनका मुआवजा सम्बन्धित विस्थापित को दिया जा चुका है या उनके नाम से उपर्युक्त शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(2) खण्ड (1) के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

पदाधिकारी पर कार्रवाई।

साम्-24. श्री अब्दुल हाकिम—क्या मंत्री, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष देवघर अनुमण्डल (संथाल परगना) के अन्तर्गत सारठ प्रखण्ड में खड़ी फसलों को बचाने के लिए कौस बांध एवं कच्चा कुओं का निर्माण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण किसानों से बांध एवं कुआं निर्माण करवा कर उक्त कार्य के लिए आबंटित राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने ठीकेदार किसानों को भुगतान नहीं किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जांच कराकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?